

न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म0प्र0)

आदेश दिनांक-11.10.2017

प्र0कं0 516 / 12 विद्युत

म0प्र0 विद्युत
// बनाम //
अरविन्दसिंह आदि

.....अभियोगी

..... आरोपी

Order sheet (contd)

case N0- 516/of 2012

F.N.-230301022692012

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
11.10.2017	<p>परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। अभियुक्त अरविन्दसिंह भदौरिया एवं सतकरण सिंह भदौरिया अनुपस्थित।</p> <p>प्रकरण अभियुक्त अरविन्दसिंह भदौरिया एवं सतकरण सिंह भदौरिया की उपस्थिति हेतु नियत है।</p> <p>पुलिस थाना उमरी जिला भिण्ड से अभियुक्त अरविन्दसिंह भदौरिया एवं सतकरण सिंह भदौरिया का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गये हैं एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक जितेन्द्र सिंह उपस्थित हैं।</p> <p>उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामिली रिपोर्ट का समर्थन किया है।</p> <p>उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त अरविन्दसिंह भदौरिया एवं सतकरण सिंह भदौरिया को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक जितेन्द्र सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे।</p> <p>धारा 82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए</p>	

	<p>अभियोजन अभियुक्तगण की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। तदनुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही / – (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)</p>	
--	---	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)